

कार्यालय ग्राम पंचायत-

मानपुर

विकास स्थल साढ़ात

जनपद-

गाजीपुर

ग्राम

दिनांक ०२/०६/२३

प्रभाव

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर द्वारा) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टॉकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

भवानी

अवगत कराना है कि दिनांक 2/6/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्षदिक/ज़मीहाईस्कूल के प्रधानाधार्य, प्रधानपक्ष, शिक्षामित्र, औंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/गांगायिका काठेदार, ५०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर बाज़े जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परियोजना के विधिया द्वारा दी गयी सहमति पश्च संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के विधानन्धन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अब अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु अधिक्षम कार्यालयी कराने का काप्ट बरें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत योजना विभाग
विंशटूं स्कूल

M.P. Singh
(Director)
Sushma Fou...
Varanasi

भवदीय,
राधेका वा०८
ग्राम प्रधान



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात बी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित भी जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तारीख की तारीख: २१६१२३
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: २१७१२३
डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:
2. ग्राम का नाम: ग्राम ५२
ग्राम पंचायत का नाम: ग्राम ५२
ब्लॉक का नाम: कुल्लू
जिला का नाम: गढ़वाल
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश
ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मरेशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घन्टे नियमित गुणवत्ता • वाले..... एस.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक यामीण परिवारों की उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतर्गत जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल नियमित का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मोठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

- * पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.इ.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात बी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. बौद्ध सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेंगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): प्रभाव विभाग २५८५५५८ सौमन्दीर

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष वर नाम: प्रभाव विभाग २५८५५५८

लिंग: महिला

आयु: _____

लालूपुरा यादव

M.P. Singh
(Director)
Gushma Foundation
Veeranak (U.P.)

III. सामान्य विवरण

6.

वर्तमान वर्ष के अनुमान	प्रतिशत

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अतिम चरण
- वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुचालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि आसल पेटने: _____

प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर
प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर
प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर
प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर
प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर	प्रमाणित किलोलीटर

10. औसत जिला वर्षा (मि.ग्री. मी.): 160 से 180 म.11. स्थलाकृति (समतल, ढानान, आटि): समतल

IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानविकरण किया गया है? (हौं नहीं)
(“शाम कार्य योजना” के साथ मानविक संभवन करें)हौं13. क्या सामाजिक मानविकरण किया गया है? (हौं नहीं)
(“शाम कार्य योजना” के साथ मानविक संभवन करें)हौं

क्र.सं.	उपलब्ध कर्मसुक्षमता	क्षमा व्यवस्था (संस.)	उपलब्ध कर्मसुक्षमता	प्रबल व्यवस्था (को.)
2.	आवासन्याशी			
3.	प्राप्ति प्रदायक भवन			
4.	प्राप्ति प्रदायक भवन			

बानी खी कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 125.11 के.एल.डी.
 मरेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 25.11 के.एल.डी.
 मवेशी कंडौ की आवश्यक संख्या: 3
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 126.11 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 25.11 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिहास

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/प्रक्रान्ति/बाढ़ या किसी अन्य प्रकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी को उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेत गाहियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशीक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण विट / वायल का उपयोग करके समुद्राय के साथ जल गुणवत्ता की घोकसी के लिए अभिनिधारित तारीख: _____

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिधारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

प्राकृतिक रूपरेखा	व्यापक व्यापक
गोली	स्थानिक
दीर्घ	स्थानिक
पाणी के बहुत सारे	स्थानिक वासी
प्रश्ना की दृष्टि	प्राकृतिक विविध
लंबाई	स्थानिक विविध
उमड़ा	स्थानिक विविध
दूरी	स्थानिक विविध
आवाज के वर्णन	स्थानिक विविध
प्रकाशन	स्थानिक विविध
वाहन	स्थानिक विविध
प्राकृतिक रूपरेखा	स्थानिक विविध

कपड़े धोने / स्लाल करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गोव के कुछ गरीब इलालों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनियारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

आवश्यकता नाम	उपर्युक्त समस्या	आवाद
प्राचीन विजयनगर राजा	प्राचीन विजयनगर राजा	आवाद

स्रोत स्थापित

24. भू-जल स्रोत के नामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (है/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदले जल का प्रयोग

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%); _____ के.एन.डी.

अलग-अलग सोखता गढ़ों वाले परिवारों की संख्या: 30

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गढ़ों की आवश्यकता है: 25

आवश्यक समुदायिक सोखता गढ़ों की संख्या: 6

क्या अपरिषट तलाश तालाब की आवश्यकता है? (हैं/नहीं): दृष्टि

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिधारित किया गया है: अभिनिधारित

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रयोग के खोले से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एफ.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूरी हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे ड्र.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्ट्रिंग बाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.बी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.बी.एस.
- दाटर यिडी/होशीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.बी.एस.
- निनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिधारित जल स्रोत: दृष्टि तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: दृष्टि प्राप्ति नियन्त्रित

इस योजना के लिए अभिनिधारित भूमि: भूमि प्राप्ति नियन्त्रित

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ मारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

_____ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिधारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिधारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	कार्यकारी	प्राप्ति विधि/निधि	प्रकार
भू-जल संरचना	पर्याप्त जल संरचना विभाग, जल विभाग, मंत्रालय	प्राप्ति विधि/निधि	प्रकार
मिनी ग्राम पर्याप्ति	पर्याप्त जल संरचना विभाग, जल विभाग, मंत्रालय	प्राप्ति विधि/निधि	प्रकार
पर्याप्त जल संरचना	पर्याप्त जल संरचना विभाग, जल विभाग, मंत्रालय	प्राप्ति विधि/निधि	प्रकार
पर्याप्त जल संरचना	पर्याप्त जल संरचना विभाग, जल विभाग, मंत्रालय	प्राप्ति विधि/निधि	प्रकार

स्रोत स्थापित्व

24. भू-जल स्रोत के नामसे में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (है/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भड़ारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति कर 65%); _____ के एन.डी.

अलग-अलग सोखता गढ़ों वाले परिवारों की संख्या: 30

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गढ़ों की आवश्यकता है: 25

आवश्यक सामुदायिक सोखता गढ़ों की संख्या: 6

क्या अपरिषट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हैं/नहीं): दृष्टि

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिधारित किया गया है: अभिनिधारित

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के बांगे से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूरी हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे ड्र.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्ट्रिंग बाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.बी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.बी.एस.
- बाटर गिड/होशीरीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- जिनी सौंदर्य आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिधारित जल स्रोत: दृष्टि तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: दृष्टि प्राप्ति नियन्त्रित
इस योजना के लिए अभिनिधारित भूमि: भूमि प्राप्ति नियन्त्रित

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ मारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

_____ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रद्योगिक शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिधारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिधारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

प्रोजेक्ट नाम	प्रोजेक्ट का वर्णन	प्रोजेक्ट का लोकल नाम	प्रदान किया जाना चाहिए
भू-जल स्रोत	भू-जल स्रोत	भू-जल स्रोत	प्रदान किया जाना चाहिए
मिल-जोल	पर्याप्त जल स्रोत की जल संग्रहीत	पर्याप्त जल स्रोत की जल संग्रहीत	प्रदान किया जाना चाहिए
भू-जल स्रोत	भू-जल स्रोत	भू-जल स्रोत	प्रदान किया जाना चाहिए
प्रद्योगिक शुल्क	प्रद्योगिक शुल्क	प्रद्योगिक शुल्क	प्रदान किया जाना चाहिए



योजना का नाम	बेनद्वारा द्वारा तरकार का विभाग	संभायित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत चाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	अग्नि संभायन विभाग	चाटरशेड प्रबंधन आर.डब्ल्यू.एप्प/ कॉरिम पूर्वावधान, जल निकायों का निर्माण/वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीणांद्रिप	जल संसाधन, नदी विकास और गगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीणांद्रिप	
साढ़ीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	चाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिवाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक यापत वाली विशेष फसलों के लिए सूखग-सिंचाई का प्रावधान, एकीकरण से जल की निकासी को बज बढ़ाने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, जल परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, चौटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रविहाण आदि।	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में प्रेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आचार्य	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के लाहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला सुनिज विकास निधि (टी.एस.ए.पा.) एम.पी.एल.ए.डी.	राज्य	बड़े फैसले पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.एल.ए.एस.ए.डी.	सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्राष्ट्रीय अवसरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जलजालीय उप योजना (टी.एस.एस.)	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसरचना	
दानदातानप्रायोजक	जलालीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसरचना	

आधिकार का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि जागू हो): _____

संपर्क विवरण

गाम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् चो.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. देवी = ७०६४०३०९४५

2. देवी = ७१६११२००३५

3. देवी = ६३०६०६४५५३१

4. देवी = ४१२८२२४९४५

5. देवी = ४०९९९४१७०६७

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:


M.P. Singh
(Director)
Srikrishna Foundation
Agra (U.P.)

राधिका २११६४
पानी समिति
पंचायत, जल विभाग
सिंहपुरा, बिहारीगढ़